

न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 04/2022 आवंटन निरस्त

- | | | |
|--|------|---|
| 1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बदनोर जिला भीलवाड़ा | बनाम | 1. कालू, डाली, दुर्गालाल, सोनी पिता नाथू, मांगीदेवी पत्नी नाथू बागरिया निवासीयान ग्राम जगपुरा तहसील बदनोर जिला भीलवाड़ा |
|--|------|---|

—प्रार्थी

—विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17(4) कमाण्ड क्षेत्र में आवंटन निरस्तीकरण बाबत

उपस्थित —

1. राजकीय अधिवक्ता — प्रार्थी की ओर से


निर्णय

दिनांक 09.02.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत भू-आवंटन नियम 1970 के नियम 17(4) के अन्तर्गत विपक्षी के विरुद्ध प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम रायरा की आ.न. 2180/659 रकबा 0.26 हैक्ट. एवं 2182/658 रकबा 0.07 हैक्ट. भूमि को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटि के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटि (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटि का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में दायर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी एवं विपक्षी के वारिसान उपस्थित नहीं। विपक्षी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण में राजकीय अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गयी।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम रायरा की 2180/659 रकबा 0.26 हैक्ट. एवं 2182/658 रकबा 0.07 हैक्ट. भूमि को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटि के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटि (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटि का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के


अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।


प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि पटवार हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम रायरा के 2180/659 रकबा 0.26 हैक्ट. एवं 2182/658 रकबा 0.07 हैक्ट. भूमि मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गयी है। उक्त विवेचन अनुसार आवंटी द्वारा भू आवंटन नियम 1970 के नियम 17(4) की पालना नहीं की जाना स्पष्ट होता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 17(4) स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव—

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 1970 के नियम 17(4) स्वीकार कर विपक्षी के नाम आवंटित ग्राम रायरा के 2180/659 रकबा 0.26 हैक्ट. एवं 2182/658 रकबा 0.07 हैक्ट. भूमि आवंटन को खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार बदनोर को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम रायरा की 2180/659 रकबा 0.26 हैक्ट. एवं 2182/658 रकबा 0.07 हैक्ट. भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार बदनोर को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर
भिलवाड़ा